

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021—श्रावण 8, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्र. एफ-1 (ए) 02-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 अगस्त 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित अण्डमान-निकोबार की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित

सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आबिद खान	—	स्वयं
2.	जायरा फातिमा खान	—	पत्नी
3.	असद मोहम्मद खान	—	पुत्र
4.	अहद मोहम्मद खान	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती सारिका शुक्ला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (एक्स), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आबिद खान, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-69-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेन्ज (ग्रामीण), भोपाल को दिनांक 19 से 31 जुलाई 2021 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 17-18 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री संजय तिवारी, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल रेन्ज (शहर), भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेन्ज (ग्रामीण), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय तिवारी, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. एफ 1 (ए) 143-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), भोपाल को दिनांक 25 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक इक्कीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 42 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-2469-2021.—माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 5189/2020 प्रमोद यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दिनांक 22 अप्रैल 2021 में पारित आदेश के अनुसरण में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से तथा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में गठित समस्त विशेष न्यायालयों को, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीबद्ध अपराधों का भी विचारण करने के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

F. No. 1-2-90--XXI-B-(1)-2469-2021.—Pursuant to the order passed by the hon'ble High Court of Madhya Pradesh in Criminal Appeal No. 5189/2020 Pramod Yadav Vs. State of Madhya Pradesh & ors. Dated 22nd April 2021, State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) also specifies all special courts in the State of Madhya Pradesh, constituted under sub-section (1) of section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 as special courts under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989) to also try offences registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities), Act, 1989 (No. 33 of 1989).

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2626-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री शेख सलीम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैरसिया जिला भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 19/20 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2470-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री द्रविंद्र मोरे, गुर्जर मंगल भवन के पीछे, संजय नगर जिला बुरहानपुर को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(2) श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 27 मार्च 2021 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 27 मई 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है।

(3) राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 1 जुलाई 2021 से 02 माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2021

क्र. एफ 11-05(10-1)-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत श्री शक्तिशरण के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को वित्त विभाग की सहमति दिनांक 23 जनवरी 2021 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल के संचालक के पद पर मनोनित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

सूचना

क्र. एफ-3-74-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2591-टी सी-30-उज्जैन-उपां-नगानि-2021, दिनांक 25 मई 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोठी महल	06	2.00	आमोद-प्रमोद (नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी) तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग (जिला न्यायालय उज्जैन के गेस्ट हाउस एवं प्रोटोकॉल ऑफिस हेतु).

योग . . . 2.00

उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. एफ-3-10-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2238-04-उपां-टी सी-धार-2015, दिनांक 24 अप्रैल 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित धार विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जैतपुरा	86 88 89	2.002	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग

योग . . . 2.002

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 52,85,280/- (बावन लाख पच्चासी हजार दौ सौ अस्सी रुपये मात्र) दिनांक 30 मार्च 2021 को भारतीय स्टेट बैंक जिला-धार के चालन क्रमांक-3 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. माण्डव लिंक मार्ग के मध्य से 15.00 मीटर मार्ग भूमि विस्तार हेतु छोड़ना होगा.
3. स्थल से गुजरने वाले 24.00 मीटर चौड़े मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगा.
4. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-66-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अंतर्गत राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-66-2021-अठारह-5, दिनांक 5 जुलाई 2021 द्वारा संशोधित जबलपुर निवेश क्षेत्र का गठन संबंधी आदेश की कंडिका 1 उत्तर पूर्व में, टंकण त्रुटिवश बिजौरी के पश्चात् व्याधखेडी अंकित नहीं हो सका एवं कंडिका 3 दक्षिण पश्चिम में, तिलवाराघाट के स्थान पर तिलवारापाट टंकित हुआ है।

अतः त्रुटि सुधार उपरान्त जबलपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा उत्तर पूर्व में बिजौरी के पश्चात् व्याधखेडी पढ़ा जावें, तथा कंडिका 3 दक्षिण पश्चिम में, ललपुर के पश्चात् तिलवारापाट के स्थान पर तिलवाराघाट पढ़ा जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

आदेश

क्र. एफ-36-1-2021-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम-3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:—

स. क्र.	नाम व पता	अध्यक्ष/सदस्य
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया, 27, अमालतारा फेस-3, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.	अध्यक्ष
2	डॉ. भागीरथ कुमरावत, 97-98 सरस्वती निवास, परसाई कॉलोनी, सनावद रोड खरगौन, जिला-खरगौन, मध्यप्रदेश.	सदस्य
3	डॉ. रघुवीर प्रसाद गोस्वामी, सी-176, संगम गार्डन, खजूरीकलां, पिपलानी भोपाल, मध्यप्रदेश.	सदस्य
4	प्रो. नरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी), शासकीय महाविद्यालय धुलकोट, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.	सदस्य
5	श्री जीवन प्रकाश आर्य, दीक्षायन, 42, चाणक्यपुरी, नानाखेड़ा उज्जैन, जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश.	सदस्य

(1)	(2)	(3)
6	डॉ. अनुपम जैन, ज्ञानछाया, डी-14 सुदामानगर, इन्दौर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश.	सदस्य
7	डॉ. विनय सिंह चौहान, कन्या महाविद्यालय के पीछे चाणक्यपुरी सीहोर, जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश.	सदस्य
8	श्रीमती सुषमा यदुवंशी, शिवसाई मंदिर चौक, डॉ. शुक्ला नर्सिंग होम के पास बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्यप्रदेश.	सदस्य
9	प्रो. आर. पी. मिश्रा, बी-16, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर, सागर, जिला-सागर, मध्यप्रदेश.	सदस्य
10	डॉ. मनमोहन प्रकाश श्रीवास्तव, 69, अहिल्यानगर एक्सटेंशन, अन्नपूर्णा रोड इन्दौर, जिला-इन्दौर, मध्यप्रदेश.	सदस्य
11	डॉ. रविन्द्र कुमार सोहानी, सामर्थ्य 1/2, हाससिंह बोर्ड कॉलोनी मंदसौर, जिला-मंदसौर, मध्यप्रदेश.	सदस्य

(2) शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम :—

स. क्र.	पद व विभाग का नाम	सदस्य/सचिव
(1)	(2)	(3)
1	आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.	सदस्य
2	आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल.	सदस्य
3	सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल	सदस्य
4	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल.	सदस्य
5	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्-एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश, भोपाल.	सदस्य/सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-3-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 22°54'42.201" से N 22°55'6.580" उत्तर अक्षांश तथा E 75°00'15.039" से E 75°00'45.389" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—धार, तहसील—सरदारपुर, वनमण्डल—धार, वन परिक्षेत्र—सरदारपुर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			चरनोई निस्तार	65	3.231	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 54 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 54 तक की कृत्रिम वन सीमा.
			बर्डी	13	10.276	
01	सलवा-सी	सलवा	बर्डी	75	4.964	
योग . .					18.471	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-एम.पी.सी.013-2017-बी.एच.ओ.-1132, दिनांक 19 फरवरी 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत मानगढ़ तालाब परियोजना में प्रभावित 33.091 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.091 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 18.471 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला धार के आदेश क्रमांक-192-अ-19(3)-2015-2016, दिनांक 07 सितम्बर 2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—नहीं.

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-3-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-3-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-3-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 22°54'42.201" to N 22°55'6.580" North Latitude and E 75°00'15.039" to E 22°55'6.580" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Dhar, Tehsil—Sardarpur, Forest Division—Dhar, Forest Range—Sardarpur

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	(7)
	Salva-C	Salva	Charnoi	65	3.231	North —Artificial Forest Boundary from pillar Number 54 to 02 of protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from pillar Number 02 to 13 of protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from pillar Number 13 to 31 of protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from pillar Number 31 to 54 of protected Forest Block.
			Bardi	13	10.276	
			Bardi	75	4.964	
Total . .					18.471	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 6-MPC013-2017-BHO-1132 Dated 19-02-2018 and in lieu of 33.091 hectare of affected forest land under the sanctioned Mangarh Water Tank Project of Water Resources Department of E.E., Dhar, the Non Forest land of 18.471 hectare mentioned in schedule from 33.091 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. 192-A-19(3)-2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Detail of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/certificate of Tahsildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer) are as Under .—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-11-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N-24°17'18.73" से N-24°17'40" उत्तर अक्षांश तथा E-80°26'17.82" से E-80°26'20.90" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—पन्ना, तहसील—पवई, वनमण्डल—दक्षिण पन्ना, वनपरिक्षेत्र—सलेहा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वन खण्ड की सीमाएं
	प्रस्वावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	लिलवार	लिलवार	गैर वनभूमि (राजस्व)	13/2	14.50	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक-64 से मुनारा क्रमांक-62 तक वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 62 से मुनारा क्रमांक -62/1 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 62/1 से संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक-67 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक-67 से मुनारा क्रमांक-64 तक वन सीमा.
योग . .					14.50	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक -एम.पी.सी.037-2017-बी.एच.ओ.-384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 14.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक-07-अ-19(3)वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—निरंक
- सामुदायिक अधिकार.—निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-11-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-11-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-11-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°17'18.73" to 24°17'40" North Latitude and E 80°26'17.82" to E 80°26'20.90" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Panna, Tehsil—Pawai, Forest Division—South Panna, Forest Range—Saleha

S. No.	Detail of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lilwar	Lilwar	Non Forest land	13/2	14.50	<p>North—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 64 to Pillar No. 62 forest boundary.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Protected Forest sagra-bilha-kangali Pillar No. 64 to Pillar No. 62/1 forest block.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary Pillar No. 62/1 to Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 67.</p> <p>West—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 67 to Pillar No. 64.</p>
Total					14.50	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India letter No.MPCO 37-2017-BHO-384 Dated 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna the Non forest land of 14.50 hectare mentioned in schedule and transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order case No. 07-A-19(3) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. (No.) dates No. of No (Designation of Competent Revenue Officer) are as Under .—

1. Individual Rights —Nil.
2. Community Rights—Nil.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-12-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24°17'39.34" से N 24°17'50.79" उत्तर अक्षांश तथा E 79°23'56.60" से E 79°24'17.05" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—पन्ना, तहसील—पवई, वनमण्डल—दक्षिण पन्ना, वनपरिक्षेत्र—सलेहा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बछौन-बी	बछौन	गैर वनभूमि (राजस्व)	59/2	08.00	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 268/1 से मुनारा क्रमांक 268/5 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 268/5 से मुनारा क्रमांक 268/10 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 268/10 से मुनारा क्रमांक 271/1 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 271/1 से मुनारा क्रमांक 268/1 तक वन खण्ड सीमा.
योग . .					08.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक -एम.पी.सी.037-2017-बी.एच.ओ.-384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 08.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक-07-अ-19(3)वर्ष 2016-2017 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—निरंक
- सामुदायिक अधिकार.—निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-12-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-12-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-12-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°17'39.34" to N 24°17'50.79" North Latitude and E 80°23'56.60" to E 80°24'17.05" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Panna, Tehsil—Pawai, Forest Division—South Panna, Forest Range—Saleha

S. No.	Detail of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bachhon-B	Bachhon	Non Forest land	59/2	08.00	<p>North—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 268/1 to Pillar No. 268/5 forest boundary.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary Pillar No. 268/5 to Pillar No. 268/10.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary Pillar No. 268/10 to Pillar No. 271/1.</p> <p>West—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 271/1 to Pillar No. 268/1 forest block boundary.</p>
Total . .					08.00	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India letter No.MPC0 37-2017-BHO-384 Dated 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna the above mentioned Non forest land of 08.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order cash No. 07-A-19(3) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No-(NO) dates No. of No (Designation of competent revenue officer) are as under.—

1. Individual Rights —Nil
2. Community Rights—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-13-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 18'24" से N 24° 18'19" उत्तर अक्षांश तथा E 80° 24'29" से E 80° 24'46" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—पन्ना, तहसील—पवई, वनमण्डल—दक्षिण पन्ना, वनपरिक्षेत्र—सलेहा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बछौन-ए	बछौन	गैर वनभूमि (राजस्व)	13/2	15.00	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/2 से मुनारा क्रमांक 89/3 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/3 से मुनारा क्रमांक 89/4 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—मुनारा क्रमांक 89/4 से संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/5 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/5 से मुनारा क्रमांक 89/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					15.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक-एम.पी.सी. 037-2017-BHO-384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 15.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक-07-अ-19(3) वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, (निरंक) (पदनाम) के प्रतिदेवन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—निरंक
- सामुदायिक अधिकार.—निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-13-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-13-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-13-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°18'24" to N 24°18'19" North Latitude and E 80°24'29" to E 80°24'46" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Panna, Tehsil—Pawai, Forest Division—South Panna, Forest Range—Saleha

S. No.	Detail of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bachhon-A	Bachhon	Non Forest land	13/2	15.00	<p>North—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 89/2 to Pillar No. 89/3 forest boundary.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Protected forest sagra-bilha-kangali Pillar No. 89/3 to Pillar No. 89/4 forest block.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary Pillar No. 89/4 to Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 89/5.</p> <p>West—Protected forest block sagra-bilha-kangali Pillar No. 89/5 to Pillar No.89/2.</p>
					Total ..	15.00

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India letter No.MPC0 37-2017-BHO-384 Date 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna, the Non forest land of 15.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order case No. 07-A-19(3) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No-(NO) dates No. of No (Designation of competent revenue officer) are as under.—

1. Individual Rights —Nil
2. Community Rights—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-14-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24°19'53.52" से N 24°19'46.01" उत्तर अक्षांश तथा E 79°28'25.89" से E 79°28'7.07" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—दमोह तहसील—हटा, वनमण्डल—दमोह (सा.), वनपरिक्षेत्र—हटा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14 करकोही	सुनेहरा जरखड़ी.	म. प्र. शासन चरनोई	64 (रकबा 84.48 हेक्टेयर).	16.450	उत्तर—मुनारा क्रमांक 39/1 से 39/3 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—मुनारा क्रमांक 39/3 से 39/5 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 49 की उत्तरी वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 39 से 44 तक. पश्चिम—वनसीमा का मुनारा क्रमांक 39 एवं कृत्रिम मुनारा क्रमांक 39/1 कृत्रिम वनसीमा.
योग					16.450	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक-6-एम.पी.सी.47/2018/BHO/878, दिनांक 14-11-2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार परियोजना प्रबंधक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई पी.एन.यू. सागर को स्वीकृत परियोजना पंचमनगर गोपालपुरा प्रेसराईज्ड पाईप सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित उत्तर वनमण्डल सागर का रकबा 10.125 हेक्टेयर एवं वनमण्डल दमोह अन्तर्गत 6.225 हेक्टेयर वनभूमि कुल 16.350 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.450 हे. गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 16.450 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र.06-अ/19(2) वर्ष 2017-18, दिनांक 17 अप्रैल 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, हटा, जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

एफ-25-14-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-14-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°19'53.52" to N 24°19'46.01" North Latitude and E 79°28'25.89" to E 79°28'7.07" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Damoh, Tehsil—Hatta, Forest Division—Damoh (Territorial), Forest Range—Saleha

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	14 Karkohi	Sunera Jarkhedi	M. P. Govt. Charnoi	64 (Total area 84.48 ha.)	16.450	North —Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/1 to 39/3. East —Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/3 to 39/5. South —Forest boundary from Pillar No. (munara-39 to 44) and North boundary of Compartment No. RF 49. West —Forest boundary from Pillar No. munara-39 and Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/1.
Total . . .					16.450	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India Letter No.MPC0 47-2018-BHO-878 Dated 14-11-2018 and lieu of 16.350 hectare of affected forest land under the sanctioned Panchamnagar Gopalpura Pressurized Pile Irrigation Project in Sagar and Damoh Division in favour of Executive Engineer panchamnagar Project, the Non Forest Land of 16.450 hectare mentioned in schedule stands transferred of muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. 06-06-अ/19(2) year 2017-18 dated 17th April 2018 of Collector Damoh for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per certificate of Tahsildar-Hatta District Damoh are as under.—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-15-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22°15'9.763" से N 22°15'12.983" तथा E 79°13'49.335" से E 79°13'55.196" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वन परिक्षेत्र—अमरवाड़ा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खामी (डी)	खामी	शासकीय भूमि	62/1 65/3	0.623 0.081	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग					0.704	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011-FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड द्वारा शहडोल जिले में 2×660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 0.704 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/0, दिनांक 17 फरवरी 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-15-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-15-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N-22°15'9.763" to N-22°15'12.983" & E- 79°13'49.335" to E-79°13'55.196" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tahsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Division
(T), Forest Range—Amarwara

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Khami (D)	Khami	Govt. Land	62/1 65/3	0.623 0.081	North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block. East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 03 of Protected Forest Block. South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 06 of Protected Forest Block. West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 01 of Protected Forest Block.
Total . .					0.704	

(A) Reason for Publication of Notification.—

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's Letter No. 8-13/2011-FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the Non Forest Land of 0.704 hectares mentioned in schedule received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 0, dated 17th February 2013 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tehsildar Amarwara, District Chhindwara are as Under .—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-35-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22°12'58.652" से N 22°13'4.090" तथा E 79°16'37.831" से E 79°16'47.650" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वनपरिक्षेत्र—चौरई

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	केकड़ा (जी)	केकड़ा	शासकीय भूमि	744, 745 743/2, 746/2 747/1 747/2 749/1छ	0.360 0.612 0.587 0.466 0.073	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					2.098	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011-FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड के शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 2.098 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/43, दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-35-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-35-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरिर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-35-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N 22°12'58.652" to N 22°13'4.090" & E 79°16'37.831" to E 79°16'47.650" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tehsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Division
(T), Forest Range—Chourai

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kekda (G)	Kekda	Govt. Land	744/745 743/2, 746/2 747/1 747/2 749/1 (chha)	0.360 0.612 0.587 0.466 0.073	North —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 05 of Protected Forest Block. East —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 09 of Protected Forest Block. South —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 09 to 11 of Protected Forest Block. West —Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 15 of Protected Forest Block.
Total . .					2.098	

(A) Reason for Publication of Notification. —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-13/2011-FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the Non Forest land of 2.098 hectares mentioned in schedule out of 67.684 hectares received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. 43, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tahsildar Amarwara, District Chhindwara are as under .—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-36-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड महेशपुरा में N-24°11'22.50" से N-24°11'39.00" उत्तर अक्षांश तथा E-77°00'13.00" से E-77°00'20.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—गुना, तहसील—चाचौड़ा, वनमण्डल—गुना, वनपरिक्षेत्र—बीनागंज

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महेशपुरा	महेशपुरा	राजस्व भूमि	101, 102/1, 107	4.500	<p>उत्तर—आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 16A से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.</p> <p>पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.</p> <p>दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 19A तक की कृत्रिम वन सीमा.</p> <p>पश्चिम—आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 19A से आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर पुराना मुनारा क्र. 19, 18, 17 एवं आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 16A तक की कृत्रिम वन सीमा.</p>

योग . . . 4.500

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- 1.(अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8बी/88/2003-एफ.सी.डब्ल्यू/189, दिनांक 28 जनवरी 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्रि जल संसाधन विभाग संभाग राधौगढ़, जिला गुना (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत महेशपुरा जलाशय निर्माण (परियोजना का नाम) में प्रभावित 4.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 4.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, गुना के आदेश क्रमांक/क्यू.रे.मो./19-14/2002/9582-83, दिनांक 28 दिसम्बर 2002 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

टीप.— राज्य शासन से अनुपालन प्रतिवेदन (compliance report) प्राप्त न होने की स्थिति में पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक/7-1/97/(फोर)/भाग-V/2124,

दिनांक 22 नवम्बर 2010 से उक्त परियोजना में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को रद्द किया गया तथा बाद में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रत्याशा में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-103/2016-F/C, दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा उक्त परियोजना में रद्द सैद्धांतिक स्वीकृति को पुनः बहाल किया गया।

2. (अ) अन्य कारणों का विवरण:—वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना के विरुद्ध प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बाबत सामान्य वनमंडल गुना के अन्तर्गत कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/क्यूरे.मो./19-14/2002/9582-83, दिनांक 28 दिसम्बर 2002 के द्वारा ग्राम महेशपुरा तहसील चाचौड़ा में राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किये जाने बाबत.

(ख) अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, चाचौड़ा (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक Nil. दिनांक 11 मार्च 2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-36-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-36-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-36-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block Maheshpura lies between N-24°11'22.50" to N-24°11'39.00" North Latitued and E-77°00'13.00" to E-77°00'20.00" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Guna, Tehsil—Chachoura, Forest Division—Guna, Forest Range—Binaganj

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Maheshpura	Maheshpura	Revenue Land	101, 102/1, 107	4.500	<p>North—On the border of Reserve forest boundary Chachoura, newly installed Pillar No. 16A to Artificial Forest boundary Pillar No. 01 from Protected Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar 05 from Protected Forest Block.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to Reserve Forest boundary Chachoura on the border of newly installed pillar no. 19A from Protected Forest Block.

West—On the border of Reserve Forest boundary Chachoura, newly installed Pillar no. 19A to old Pillar No. 19, 18, 17 and Reserve Forest boundary Chachoura on the border of newly installed pillar no 16A from Protected Forest Block.

Total . . . 4.500

(A) Reason for Publication of Notification: —

1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 6-B/88/FCW/189 dated 28.01.2004 and in lieu of 4.500 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Maheshpura Tank Construction (Name of Project) of Executive Engineer Water Resources Division Raghogarh, Dist. Guna (Name of User Department/Agency/Person), the Non Forest Land of 4.500 hectare mentioned is schedule transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Guna order No. Q/R.M./19-14/2002/9582-83, date 28-12-2002 of 4.500 hectare for the purpose of compensatory afforestation.

Note— Due to delay of more than five years in the event of non-receipt of compliance report from the State Government, the letter No./ 7-1 /97/(Four) / Part-V/ 2124 Date 22.11.2010 of Government of India Ministry of Environment and Forests, the theoretical acceptance that was given in the said project was canceled. In the anticipation of submitting compliance report, the theoretical acceptance of the canceled project in the said project was restored by the letter no. 11-103 / 2016-dated 31.03.2017 of Ministry of Environment and Environmental Climate Change, New Delhi.

2. (A) Details of other Reasons-The Non-forest land received from revenue department in village Maheshpura Tahsil Chachoura 4.500 hac. by Collector Distt. Guna Order No. Q/R.M/19-14/2002/95, 82-83 Date 28.12.2002 for the purpose of compensatory afforestation against the affected forest land, which in to be declared is Protected forest in Indian Forest Act,1927 Section 29.

- (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. NIL dated 11th March 2003 of Tehsildar Chachoura (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. **Individual Rights**—Nill

2. **Community Rights**—Nill

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-38-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22°12'54.111" से N 22°13'12.673" तथा E 79°16'47.823" से E 79°17'5.558" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वनपरिक्षेत्र—चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उमरिया (ई)	उमरिया	शासकीय भूमि	38	0.628	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 33 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				39	0.676	
				40/1	1.356	पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				40/2	1.364	
				48/1	1.590	दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				48/2ख	1.019	
				49	0.105	पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा.
		केकड़ा		748/2	0.400	
				767/7-8	3.349	
				769/1-3		
				योग	10.487	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011-FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड द्वारा शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 10.487 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/43, दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-38-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-38-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-38-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N-22°12'54.111" to N-22°13'12.673" & E-79°16'47.823" to E-79°17'5.558" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tehsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Division
(T), Forest Range—Chourai

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of Forest Block (2)	Name of Village (3)	Head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	(7)
1	Umariya (E)	Umariya	Govt. Land	38	0.628	North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33 to 02 of Protected Forest Block.
				39	0.676	
				40/1	1.356	East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 12 of Protected Forest Block.
				40/2	1.364	
				48/1	1.590	South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 18 of Protected Forest Block.
				48/2kh	1.019	
		Kekada		49	0.105	West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 33 of Protected Forest Block.
				748/2	0.400	
				767/7-8	3.349	
				769/1-3		
Total . .					10.487	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-13/2011-FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Shahdol Division under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the above mentioned 10.487 ha. Non Forest land mentioned in schedule out of 67.684 hectares received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. 43, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tahsildar Amarwara, District Chhindwara are as Under .—

- Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
- Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-39-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24°42'04.40" से N 24°44'12.66" उत्तर अक्षांश तथा E 79°21'07.28" से E 79°21'14.14" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छतरपुर, तहसील—बिजावर, वनमण्डल—सा. वन मंडल छतरपुर, वनपरिक्षेत्र—बिजावर

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भैरा	सटई	गैर वन भूमि	3795/1	2.368	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

कुल योग . . . 2.368

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-183/91-FC, दिनांक 17 जुलाई 1992 में अधिरोपित शर्त के अनुसार पायरोफलाइट खुली खदान की स्वीकृत परियोजना, खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि. छतरपुर में प्रभावित 2.368 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2.368 हेक्टेयर जो अनुसूची में दर्शित है, को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर का पत्र क्रमांक/खनिज//92/595, दिनांक 25 अप्रैल 1992 हस्तांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार तहसील बकस्वाह, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के प्रतिदेवन क्रमांक-निरंक दिनांक 2 सितम्बर 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—निरंक
- सामुदायिक अधिकार.—निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-39-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-39-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-39-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°42'04.40" to N 24°44'12.66" North Longitude & E 79°21'07.28" to E 79°21'14.14" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhatarpur Tehsil—Bijawar, Forest Division—Chhatarpur Forest Range—Bijawar

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
(1)	Name of the Forest Block (2)	Name of Village (3)	Present head of Land (4)	Khasra No. (5)	Area (Hectare) (6)	(7)
1	Bhaira	Satai	Non Forest Land	3795/1	2.368	<p>North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2 of Protected Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 3 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 4 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 1 of Protected Forest Block.</p>
Total . .					2.368	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-183/91-FC, Dated 17th July 1992 and in lieu of 2.368 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pyrophilite opencast mining of Khajuraho Minerals Pvt. Ltd. Chhatarpur the Non Forest Land of 2.368 hectares mentioned in schedule and transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. खनिज-92-595 दिनांक 25 अप्रैल 1992 of Collector Chhatarpur for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. Nil dated 02--09-2019 of Tahsildar, Tahsil-Buxwaha District-Chhatarpur Madhya Pradesh are as Under :—

1. Individual's Rights —Nil.
2. Community Rights—Nil.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-42-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22°13'1.104" से N 22°13'7.673" तथा E 79°17'4.264" से E 79°17'7.241" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वनपरिक्षेत्र—चौरई

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उमरिया (सी)	उमरिया	शासकीय भूमि	59/2ख	1.222	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					1.222	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011-FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2×660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 1.222 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/43, दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-42-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-42-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-42-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N-22°13'1.104" to N-22°13'7.673" & E-79°17'4.264" to E-79°17'7.241" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tehsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Division (T),
Forest Range—Chourai

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Umariya (C)	Umariya	Govt. Land	59/2kh	1.222	<p>North—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 01 of Protected Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block.</p>
Total . .					1.222	

(A) Reason for Publication of Notification: —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-13/2011-FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the Non Forest land of 67.684 hectares has been made available and out of which 1.222 hectares has been transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. 43, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation.
- (2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tahsildar Amarwara, District Chhindwara are as Under :—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-46-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है। यह संरक्षित वनखण्ड खरखरी अक्षांश N 23°34'5.16" से N 23°34'26.26" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78°45'32.11" से E 78°45'51.91" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—केसली, वनमण्डल का नाम—दक्षिण सागर (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—केसली

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खरखरी	खरखरी	छोटा घास (शासकीय भूमि)	1/4	16.500	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 4 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 13 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					16.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53/2009-FC, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.93 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक/56अ/19(3)/वर्ष 2018-19 दिनांक 2 मार्च 2019 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- (2) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-46-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-46-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-46-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block Kharkhari lies between North Latitude N 23°34'5.16" to N 23°34'26.26" North Latitude and East Longitude E 78°45'32.11" to E 78°45'51.91" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Kesli, Forest Division—South Sagar (Territorial) Range—Kesli

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area in (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kharkhari	Kharkhari	Chhota Ghaas (Govt. Land)	1/4	16.500	North—Protected Forest Block Pillar No. 1 to 4 Artificial Forest Boundary. East— Protected Forest Block Pillar No. 4 to 10 Artificial Forest Boundary. South—Protected Forest Block Pillar No. 10 to 13 Artificial Forest Boundary. West—Protected Forest Block Pillar No. 13 to 1 Artificial Forest Boundary.
					Total . .	16.500

(A) Reason for Publication of Notification: —

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-53/2009-FC, dated 20th December 2017 and in lieu of 197.93 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mandideep Industrial Area the above mentioned Non Forest Land 16.500 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by Collector Sagar's order No. 56(A)/19(3) Year 2018-19 Dated 02 March 2019 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as Under .—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-47-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड भरदी अक्षांश N 23°32'16.56" से N 23°31'39.89" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78°45'1.02" से E 78°44'15.15" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—केसली, वनमण्डल का नाम—दक्षिण सागर (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—केसली						वनखण्ड की सीमाएं
अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भरदी	भरदी	छोटा घास (शासकीय भूमि)	61, 79, 82, 85, 88/3	41.170 16.080 4.400 20.700 8.270	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 27 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 27 से 29 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 29 से 35 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 35 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग . . .					90.620	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53/2009-FC, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.93 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 90.620 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक/56अ/19(3)/वर्ष 2018-19 दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

(ख) उपरोक्त अनुसूची वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- (1) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- (2) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-47-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-47-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-47-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block Bhardi lies between North Latitude N 23°32'16.56" is N 23°31'39.89" North Latitude and East Longitude E 78°45'1.02" is E 78°44'15.15" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Kesli, Forest Division—South Sagar (Territorial) Range—Kesli

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bhardi	Bhardi	Chhota Ghaas (Govt. Land)	41, 79, 82, 85, 88/3	41.170 16.080 4.400 20.700 8.270	North—Protected Forest Block Pillar No. 1 to 27 Artificial Forest Boundri. East— Protected Forest Block Pillar No. 27 to 29 Artificial Forest Boundri. South—Protected Forest Block Pillar No. 29 to 35 Artificial Forest Boundri. West—Protected Forest Block Pillar No. 35 to 1 Artificial Forest Boundri.
Total . .					90.620	

(A) Reason for Publication of Notification: —

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-53/2009-FC, dated 20th December 2017 in lieu of 197.93 hectare of affected forest land under **Mandideep Industrial Area** the above Non Forest Land of 90.620 hectares mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by Collector Sagar mentioned in schedule Deori order No. 56(A)/19(3) Year 2018-19 Dated 02 March 2019 for the purpose of Compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as Under .—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-49-2021-दस-3.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 22°10'20.00" से N 22°10'35.677" उत्तर अक्षांश तथा E 75°37'24.70" से E 75°37'33.10" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—महेश्वर, वनमण्डल—बडवाह (सामान्य), वनपरिक्षेत्र—मण्डलेश्वर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वन खंड लाडवी-अ	राजस्व ग्राम लाडवी	शासकीय चरनोई	60/1/1क	6.000	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग . .					6.000	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-MPC009/2014-BHO/1558, दिनांक 04 सितम्बर 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक 1 इंदौर की स्वीकृत राउ-महू-मण्डलेश्वर स्टेट हाईवे नंबर 1 में प्रभावित 24.366 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.795 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 6.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /वाचक-2/2013/1330 दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

(ख) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के प्रतिवेदन क्रमांक /वाचक-2/2013/1330 दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

- व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
- सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-49-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-49-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-49-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 22°10'20.00" to N 22°10'35.67" North Latitude & E 75°37'24.70" to E 75°37'33.10"

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Maheshwar, Forest Division—Barwah, Forest Range—Mandleshwar

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ladvi-A	Revenue village Ladvi	Govt. Charnoi Land	60/1/1 "क"	6.000	<p>North—Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 03 of Protected Forest Block.</p> <p>East—Artificial Forest boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block.</p> <p>South—Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block.</p> <p>West—Artificial Forest boundary from Pillar No. 05 to 01 of Protected Forest Block.</p>
Total ...					6.000	

(A) Reason for Publication of Notification —

- (1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 6-MPC 009/2014-BHO/1558 dated 4th September 2014 and in lieu of 24.366 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rau-Mahow-Mandleshwar State Highway No. 1 of Divisional Manager M. P. Road Development Corporation Ltd. Division No. 1 Indore, the above mentioned non Forest Land in schedule 6.000 hectares transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. redear-2/2013/1330 dated 12th August 2013 of Collector Khargone for the purpose of Compensatory afforestation

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above mentioned in schedule land as per report No. redear-2/2013/1330 dated 12th August 2013 of Collector Khargone are as Under .—

- Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
- Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-61-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23°11'13.961" से N 23°10'24.915" उत्तर अक्षांश व E 77°22'.17.612" से E 77°23'36.423" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—भोपाल, तहसील—हुजूर वनमण्डल—भोपाल, वनपरिक्षेत्र—समर्धा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चन्दनपुरा	चन्दनपुरा	छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)	73 74 75/2 77/2 78/2 79/2 80 82/1 81/2 82/2 83/1 84 92	12.133 11.513 9.228 8.498 15.558 1.882 32.374 1/619 15.777 17.190 21.853 5.462 5.937	उत्तर—संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा-II की सीमा के मुनारा क्र. 17 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 42 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 62 से 74 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 74 से 82 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा-II के मुनारा क्र. 26 से 21 की सीमा.
		छावनी	छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)	29/1	79.117	पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा-II की सीमा के मुनारा क्र. 21 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 83 तथा संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा-II के मुनारा क्र. 19 से 17 की सीमा.
			कुल योग . .		159.024 238.141	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(अ) माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन.-104/19 (CZ) & 106/2019 (CZ), दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अन्तर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व-1 हाईटेक प्लॉटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 8-B/92/2001/FCW/3432, दिनांक 7 नवम्बर 2001 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान श्यामला हिल्स, भोपाल अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना जनजाति संग्रहालय के निर्माण में प्रभावित 2.828 हेक्ट. राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.828 हेक्ट. गैर वनभूमि (राजस्व वनभूमि) उपरोक्त वर्णित वनभूमि 2.828 हेक्ट. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/ए-57/2000-2001, दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
 2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 8-B/101/2001/FCW/1319, दिनांक 10 जून 2002 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा स्वीकृत परियोजना पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण परियोजना में प्रभावित 2.023 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.023 हेक्टेयर गैर वनभूमि (राजस्व वनभूमि) उपरोक्त वर्णित भूमि 2.023 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/ए-57/2000-2001, दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
- ब. अन्य कारण का विवरण—कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक ए-57/2000-2001, दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
- स. उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, तहसील राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक/581, दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—
- (1) व्यक्तिगत अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
 - (2) सामुदायिक अधिकार.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-61-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-61-2021-दस-3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 16th July 2021

No. F-25-61-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. **This Forest Block lies in between N 23°11'13.961" to N 23°10'24.915" North Latitude and E 77°22' 17.612" to E 77°23'36.423" East Longitude :—**

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil—Huzur, Forest Division—Bhopal, Forest Range—Samrdha

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Chandnapura	Chandnapura	Chote Bade	73	12.133	North—Protected Forest Block
			Jhad ke	74	11.513	Maindora II Boundary Pillar
			Jungle	75/2	9.228	No. 17 and Protected Forest
			(Revenue	77/2	8.498	Block Artificial Forest
			Land).	78/2	15.558	Boundary from Pillar No.
				79/2	1.882	42 to 62.
				80	32.374	East— Forest Block Artificial Forest
				81/1	1.619	Boundary from Pillar No. 62
				81/2	15.777	to 74
				82/2	17.190	South—Forest Block Artificial Forest
				83/1	21.853	Boundary from Pillar No.
				84	5.462	74 to 82 and Protected Forest
				92	5.937	Block Maindora II Boundary
						from Pillar No. 26 to 21.
				योग . .	159.024	West—Protected Forest Block
						Maindora II Boundary
						Pillar No. 21 and forest
	Chawani	Chote Bade		29/1	79.117	Block Boundary Pillar No. 83
		Jungle ke Jungle				and Protected Forest Block
		(Revenue				Maindora II Boundary from
		Land).				Pillar No. 19 to 17.
				Total . .	238.141	

A) Reason for Publication of Notification: —

- a. As per the letter of National Green Tribunal No. IAN -104/19 (CZ) & 106/2019 (CZ) Dated 06 February 2020, the area handed over & transferred to Forest Department, Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High -Tech plantation.—
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and forest, Govt. of India's letter No-8-B/92/2001/FCW/3432 dated 7th November 2001 and in lieu of 2.828 hectare of affected forest land under the sanctioned project of construction of Tribal Museum Bhopal, the above mentioned Revenue Forest Land of 2.828 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Bhopal order No A-57/2000-2001 Dated 10th February 2003 for the purpose of compensatory afforestation.
2. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and forest, Govt. of India's letter No No B-8-B/101/FCW/1319 Date 10 June 2002 and in lieu of 2.023 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Directorate of Archaeology, Archives and Museum Bhopal for Construction of the tribal museum Bhopal,
- The above mentioned Revenue Forest Land of 2.023 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by Collector Bhopal letter No A-57 /2000-2001 Dated 10-02-2003 for the purpose of compensatory afforestation.
- b. Details of other Reasons-Collector Bhopal in letter no. A-57/2000-2001 Date 10 February 2003 for transfer of 357.780 hectares of revenue forest land (Chhote Bade Jhar Ka Jungle) to forest department for High-tech plantation.
- c. The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 581 Dated 20 March 2020 of Tehsildar, Tehsil cap. Project T.T. Nagar, circle Bhopal.

District Bhopal are as under:

1. **Individuals Rights** —There are no individual Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. न्या.लि.-2021.—सचिव मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ-दो(क) 15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974) का संख्याक-2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी को मध्यप्रदेश राज्य पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से.—

नीचे सारणी (2) अनुसार पुलिस चौकी मण्डी बामौरा (थाना बीना) को एवं चौकी नई बस्ती के ग्राम बम्होरीकेला एवं धनोरापुरा को सारणी (4) थाना आगासौद में सम्मिलित किये जाने का परिसीमन किया जाना है:—

जिला सागर में चौकी मंडीबामौरा (थाना बीना) का थाना आगासौद में संविलियन किये जाने का प्रस्ताव

क्र.	ग्रामों के नाम जिनका परिसीमन किया जाना है	वर्तमान में किस थाना/चौकी अन्तर्गत है एवं दूरी	जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है, उसका नाम एवं दूरी	सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पुलिस चौकी मंडीबामौरा अन्तर्गत आने वाले कुल ग्रामों की संख्या 25 है। पुलिस चौकी नई बस्ती के ग्राम बम्होरी केला एवं धनोरापुरा थाना बीना के कुल ग्रामों की संख्या 76 है।	थाना बीना 28 किमी.	थाना आगासौद 25 किमी	श्री महेश राय, विधायक मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र बीना द्वारा प्रेषित अनुशंसा पत्र.	उक्त पुलिस चौकी मण्डीबामौरा की वर्तमान थाना बीना से दूर 28 किमी है एवं थाना आगासौद से 25 किमी है. नागरिक सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस चौकी मण्डीबामौरा को थाना आगासौद में सम्मिलित किया जाना उचित होगा.
(1)	पुलिस चौकी मंडीबामौरा थाना बीना के अन्तर्गत आती है, उक्त थाना में वर्कलोड अधिक होने के कारण प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पाता है. अतः मंडीबामौरा पुलिस चौकी को थाना बीना से पृथक् कर थाना आगासौद में समायोजित किया जाना है.				
(2)	ग्राम बम्होरीकेला एवं धनोरापुरा जो वर्तमान में थाना बीना की नई बस्ती चौकी के अन्तर्गत आते हैं उक्त ग्रामों की दूरी पुलिस चौकी नई बस्ती से अधिक है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं उक्त ग्रामों से थाना आगासौद की दूरी नजदीक है. अतः उक्त दोनों ग्रामों को थाना आगासौद में जोड़ा जाना है.				

दीपक सिंह, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021

आदेश

क्र. एफ-1-5-18-रा.स.-यू.ए.1-605.—डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को आदेश क्रमांक एफ-1-5-18-रा.स.-यू.ए.1-52, दिनांक 18 जनवरी 2021 के द्वारा उनके पदीय दायित्वों के साथ-साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम-निर्देशित किया गया था।

(2) चूंकि महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2006 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः मैं, मंगुभाई छ. पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन एतद्वारा डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक उनके पदीय दायित्वों के साथ-साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित करता हूँ।

मंगुभाई छ. पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 8 जुलाई 2021

पत्र क्र. 7919-भू-अर्जन-2021.—अंतर्गत धारा 19, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंच मार्ग के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची-(2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची क्रमांक-1

मौजा ग्राम—किशनपुर, तहसील—होशंगाबाद नगर, जिला होशंगाबाद

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु	2.065	0.146

अनुसूची क्रमांक-2

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तुलसाबाई पुत्री भूरेलाल पत्नी नंदराम जाटव.	33	1.660	0.126	निरंक
2	परसराम पिता झुनुआ बगैरह	34/1	0.405	0.020	निरंक
योग . .			2.065	0.146	निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 8636-37

राजगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2021

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-गुजरखेडी खुर्द के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

--: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-गुजरखेडी खुर्द

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
		रकबा
(1)	(2)	(3)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-गुजरखेडी खुर्द की भूमि की आवश्यकता।	32.319
	कुल योग :	32.319

--: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	धीरप सिंह पिता घीसालाल, इन्दर सिंह पिता पर्थी, जुआरीलाल पिता पर्थी, गोपीलाल पिता पर्थी फतेह सिंह पिता पर्थी जाति गुजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	2/1	0.164	0.164
		25	0.936	0.936
		कुल 2 किता	1.100	1.100
2	गुलाब सिंह पिता जगन्नाथ जाति गुजर पता गुजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	2/2	0.164	0.164
		48	1.467	1.467
		50/3	0.190	0.19
		50/4	0.506	0.506
		कुल 4 किता	2.327	2.327

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
3	मेहताब सिंह, भारत सिंह, नारान सिंह, पर्वत सिंह, गणपत सिंह पिता भवंरलाल, हि. 50 पैसे चंदन सिंह, बृजमोहन, कमलसिंह पिता मानसिंह हि. 50 पैसे जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, राजगढ़	2/3	0.140	0.14
		3	0.025	0.025
		4	0.569	0.569
		कुल 3 किता	0.734	0.734
4	खुशीलाल पिता हरकिशन जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	5/1	0.078	0.078
		40/2/1	0.038	0.038
		50/2/1	0.312	0.312
		13/3	0.106	0.106
		14	0.013	0.013
		27/2	0.396	0.396
		37/2	0.106	0.106
		38/1	0.291	0.291
		40/4/1	0.253	0.253
		कुल 9 किता	1.593	1.593
5	भजन सिंह पिता रामरतन हि. 1/4 भारत सिंह पिता रामरतन, हि. 1/4 सौतानबाई बेवा रामरतन, हि. 1/4 रामबाई पुत्री रामरतन हि. 1/4 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/2	0.078	0.078
		13/2	0.119	0.119
		27/1	0.396	0.396
		37/1	0.105	0.105
		38/2	0.291	0.291
		40/2/2	0.038	0.038
		40/4/2	0.253	0.253
		41/2	0.105	0.105
		50/2/2	0.312	0.312
		कुल 9 किता	1.697	1.697
6	जगदीश पिता अमर सिंह, वनेसिंह पिता अमरसिंह, गुलाब बाई पिता अमरसिंह, दरियाव बाई पिता अमर सिंह, ईसुमबाई पिता अमर सिंह, गुड्डीबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, राजगढ़	5/3	0.078	0.078
		13/1	0.118	0.118
		27/3	0.397	0.397
		37/3	0.105	0.105
		38/3	0.291	0.291
		40/2/3	0.038	0.038
		40/4/3	0.253	0.253
		41/3	0.106	0.106
		50/2/3	0.312	0.312
		कुल 9 किता	1.698	1.698

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.से)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.से)
1	2	3	4	5
7	दयाल सिंह पिता बालकिशन जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	5/4	0.234	0.234
		6/2	0.394	0.394
		6/4	0.087	0.087
		35/2	0.012	0.012
		36/3	0.092	0.092
		40/3/3	0.430	0.43
		40/3/6	0.140	0.14
		41/4	0.316	0.316
		45/1	0.433	0.433
		46	0.620	0.62
		47/4	0.450	0.45
		50/5/2	0.165	0.165
		कुल 12 किता	3.373	3.373
8	गणपत पिता बालकिशन जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रिजगढ़	6/1	0.393	0.393
		6/5	0.087	0.087
		35/1	0.013	0.013
		36/2	0.180	0.18
		40/3/2	0.341	0.341
		40/3/4	0.140	0.14
		45/2	0.300	0.300
		47/1	1.020	1.02
		47/3	0.442	0.442
		50/5/3	0.140	0.140
		कुल 10 किता	3.056	3.056
9	प्रभूलाल पिता बालकिशन जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रिजगढ़	6/3	0.394	0.394
		6/6	0.087	0.087
		34	0.089	0.089
		36/1	0.120	0.120
		40/3/1	0.327	0.327
		40/3/5	0.140	0.140
		45/3	0.165	0.165
		47/2	1.515	1.515
		50/5/1	0.151	0.151
		50/5/4	0.050	0.050
		कुल 10 किता	3.038	3.038

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
10	मनोहर सिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 मानसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	7/2	0.100	0.100
11	प्रताब सिंह पिता देवजी जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	8	0.405	0.405
		9	0.152	0.152
		42	1.151	1.151
		44/2	0.142	0.142
		कुल 4 किता	1.850	1.850
12	रामचन्द्र पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 भेरूसिंह पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 सुगनबाई पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 मेहताबसिंह पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 धुलीबाई बेवा मेहताबसिंह हि. 1/5 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़	10	0.164	0.164
		11/1	0.431	0.431
		12/2	0.105	0.105
		कुल 3 किता	0.700	0.700
13	मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी	11/2	0.126	0.126
14	कंचन सिंह पिता गंगाराम हि.1/4 घनश्याम पिता गंगाराम, हि.1/4 धीरप पिता मांगीलाल, हि.1/4 जसवंतसिंह पिता मांगीलाल हि.1/4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	12/1	0.768	0.768
		19/2	0.067	0.067
		43/2	0.190	0.19
		44/1	0.190	0.19
		कुल 4 किता	1.215	1.215
15	पर्वत सिंह पिता भागीरथ जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	15	0.430	0.43
		16	0.215	0.215
		28/4	0.272	0.272
		कुल 3 किता	0.917	0.917
16	रामरतन पिता अमरा, हि.1/3 रामबक्ष पिता अमरा, हि.1/3 बलराम पिता अमरा हि.1/3 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	17	0.278	0.278
		18	0.379	0.379
		21	0.139	0.139
		23	0.607	0.607
		24	0.013	0.013
		कुल 5 किता	1.416	1.416

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
17	प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	19/1	0.068	0.068
		44/3/2	0.189	0.189
		50/6	0.253	0.253
		कुल 3 किता	0.510	0.510
18	भवरीबाई बेवा धनराज, धीसीबाई, कन्याबाई पुत्री धनराज, हि. 50 पैसे प्रेमसिंह आ. रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	26/1	0.253	0.253
19	जसवन्त सिंह पिता चैनसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	22/1	0.069	0.069
		29/2	0.383	0.383
		कुल 2 किता	0.452	0.452
20	दिनेश सिंह पिता चैनसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	22/2	0.070	0.07
		29/3	0.382	0.382
		कुल 2 किता	0.452	0.452
21	मांगीलाल पिता रामसिंह, हि. 1/2 बापुलाल पिता रामसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	26/2	0.253	0.253
		43/1	0.234	0.234
		44/4	0.214	0.214
		50/7	0.253	0.253
		19/3	0.067	0.067
		कुल 5 किता	1.021	1.021
22	जसवंतसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/1	0.306	0.306
23	जसरथसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/2	0.305	0.305
24	धीरपसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	28/3	0.306	0.306
25	बापू पिता भवरलाल, हि. 1/4 नारान सिंह पिता भवरलाल, हि. 1/4 भारत पिता भवरलाल, हि. 1/4 कमलाबाई पिता भवरलाल हि. 1/4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	29/1	0.791	0.791
26	अंकित ना.बा. पिता हरिसिंह सरपरस्त माता ममताबाई बेवा हरिसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़	30	0.063	0.063
		31	0.089	0.089
		32	0.253	0.253
		40/5	0.379	0.379
		कुल 4 किता	0.784	0.784

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
27	मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी	41/1	0.105	0.105
28	महेन्द्रसिंह पिता दयाल सिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़	43/3	0.506	0.506
29	दिनेश पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता ग्राम गुर्जरखेडी कला तहसील सुठालिया, राजगढ़	43/4	0.234	0.234
		44/3/1	0.024	0.024
		कुल 2 किता	0.258	0.258
30	शिवनारायण पिता खेमचन्द, हि.1/3 कल्याण पिता रूगनाथ, हि.1/3 कन्हैया पिता खेमचन्द हि.1/3 जाति लोदी पता नि. टोडी तहसील सुठालिया, राजगढ़	49	0.734	0.734
31	मनोहर पिता हरिप्रसाद, हि.1/2 मानसिंह पिता हरिप्रसाद हि.1/2 जाति गुर्जर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़	7/1	0.596	0.596
		महायोग :	32.319	32.319

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
[देखिये धारा 11(1)]

क्रमांक 17 अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-7379

सागर, दिनांक 26 जुलाई 2021

मौजा पथारिया हाट पट.ह.नं.-47 तहसील सागर

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर को कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से 48 ग्रामों की लगभग 12000 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पथरिया हाट
 4. पट.ह.नं.- : 47
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 137.710 है.

:: अनुसूची-1 ::

स.क्र. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.मे)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	बाबूसींग पिता पूरनसींग लीलाबाई बेवा पूरनसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	2	6.540	6.540	कृषि भूमि
2	बाबूसींग पिता पूरनसींग पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	3	1.620	1.620	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	37	1.610	1.610	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	38	1.610	1.610	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	53	0.190	0.190	कृषि भूमि
3	कृपाशंकर कमलेश शिवचरण प्रेमनारायण पिता पुरुषोत्तमलाल विनोदबाई मालतीबाई शकुन्तला विनीता पुत्री पुरुषोत्तमलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/1	0.070	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/1	0.260	0.260	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/1	0.150	0.150	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/1	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/1	0.260	0.260	कृषि भूमि
4	तेजसींग पिता श्यामसुंदर बंदना साधना पुत्री श्यामसुंदर अहिल्याबाई बेवा श्यामसुंदर जाति ठाकुर सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	4/2	0.800	0.800	कृषि भूमि
5	पवन बा. गगन श्याम ना.बा. पिता राजू पालक मां गायत्रीबाई बेवा राजू यादव पता सा बेरखेरी गुरु भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/3	0.800	0.800	कृषि भूमि

6	कमलेश पिता पुरुषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/4	0.070	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/2	0.260	0.260	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/2	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/2	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/3	0.260	0.260	कृषि भूमि
7	शिवचरण पिता पुरुषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/5	0.070	0.070	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/3	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/3	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/3	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/4	0.260	0.260	कृषि भूमि
8	प्रेमनारायण पिता पुरुषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/6	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/4	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/4	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/4	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/5	0.260	0.260	कृषि भूमि
9	अमित पिता हरिनारायण अलका पुत्री हरिनारायण हरिनारायण पिता विन्दा जाति मिश्रा सागर सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/7	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/5	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/5	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/5	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/6	0.260	0.260	कृषि भूमि
10	रवि पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/8	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/6	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/6	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/6	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/7	0.260	0.260	कृषि भूमि
11	श्रधिकृष्ण पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/9	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/7	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/7	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/7	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/8	0.270	0.270	कृषि भूमि
12	आकाश पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4/10	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	5/8	0.270	0.270	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	20/8	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	21/8	0.250	0.250	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	22/9	0.260	0.260	कृषि भूमि
13	देवसीप्रसाद प्यारेलाल जमनाप्रसाद पिता सुन्दर रजक पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	6	0.880	0.880	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	379	0.590	0.590	कृषि भूमि
14	रमेश कुमार पिता वंशीधर सुधीर पिता रमेशकुमार पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7	0.940	0.940	कृषि भूमि
15	जमनाप्रसाद पिता सुन्दरलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	8	0.330	0.330	कृषि भूमि
16	प्यारेलाल पिता सुन्दर सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	9	0.410	0.410	कृषि भूमि
17	देवीप्रसाद पिता सुन्दर सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	10	0.450	0.450	कृषि भूमि
18	देवी जमना प्यारेलाल शोमाराम पिता सुन्दर मुन्जाबाई बेनीबाई गौमतीबाई पुत्री सुन्दर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11	0.460	0.460	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	79	0.890	0.890	कृषि भूमि

19	शोभा पिता सुन्दरलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12	0.420	0.420	कृषि भूमि
20	लीलायती बाई उर्फ बतीबाई बेवा बालचंद जसरथ नन्हेभाई चन्द्रभान पिता गनेश रूपाबाई बेवा गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13	0.950	0.950	कृषि भूमि
21	रमेशकुमार पिता वंशीधर सा सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	14	0.810	0.810	कृषि भूमि
22	शारदा पिता सुदामाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	15	0.310	0.310	कृषि भूमि
23	दीनदयाल पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल पता सा सदर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	16	1.190	1.190	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	18	1.180	1.180	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	19	1.000	1.000	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	26	0.610	0.610	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	28	0.200	0.200	कृषि भूमि
24	प्रियाशु उर्फ मयंक पिता खेमचंद पटेल पता सा. छतरपुर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	17	1.300	1.300	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	25	0.050	0.050	कृषि भूमि
25	जीवनबाई उर्फ जयंतीदेवी पति देवीलाल	भूमिस्वामी	23/1	0.400	0.400	कृषि भूमि
26	फूलचंद पिता सुदरलाल पता सा. केरबना भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/2	0.400	0.400	कृषि भूमि
27	नन्धीबाई पति सुनील	भूमिस्वामी	23/3	0.410	0.410	कृषि भूमि
28	अमित पिता रमेश जाति मिश्रा पता कृष्णागंज वार्ड सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24	1.830	1.830	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	90/1	0.600	0.600	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	90/2	0.600	0.600	कृषि भूमि
29	परसराम लोकमन पिता नन्ना जाति पटेल पता पथरिया हाट सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	27	0.730	0.730	कृषि भूमि
30	नीता बाई पति मनोजकुमार पता शास्त्री वार्ड भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	29	0.600	0.600	कृषि भूमि
31	देवकी जमना प्रसाद हीरालाल पिता छोटेलाल पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	30	0.420	0.420	कृषि भूमि
32	गोविन्द पिता शिवप्रसाद कुशवाहा पता सा. सीहोरा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	31	0.420	0.420	कृषि भूमि
33	दौलत सीताराम भिम्मा पिता भावसींग जाति अहिरवार पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	32	0.420	0.420	कृषि भूमि
34	जालम धनीराम हुकम राकेश पिता बल्लू बेटीबाई बेवा बल्लू सरजूबाई पुत्री बल्लू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33	0.410	0.410	कृषि भूमि
35	आदि एजूकेशनल सोसायटी महावीर नगर करीला सचिव सुगमकुमार वल्द अमीरचंद कोठारी सा. रविदास वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/1/1	0.154	0.220	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	34/1/2	0.676		कृषि भूमि
36	सगीर पिता ताज मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/2	0.080	0.080	कृषि भूमि
37	हल्कीबहू बेवा पूरनलाल पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	36	0.930	0.930	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	52	1.110	1.110	कृषि भूमि
38	लच्छू इमरत पिता पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	39	0.810	0.810	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	371	0.030	0.010	कृषि भूमि
39	द्वारका पिता रगवर प्रसाद पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	40	1.180	1.180	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	41	0.940	0.940	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	83	2.310	2.310	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	84	2.310	2.310	कृषि भूमि

40	सुखलाल पिता लल्ला सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	42	0.500	0.500	कृषि भूमि
41	जालम योगेन्द्र भरत पिता बालकिशन शीला बाई मायाबाई बा प्रीति ना बा पुत्री बालकिशन वा खुद मां फूलरानी बेवा बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43	0.720	0.720	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	44/1	0.200	0.200	कृषि भूमि
42	अनिल पिता छोटेलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44/2	0.400	0.400	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	45/3	0.020	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	45/4	0.240	0.240	कृषि भूमि
43	फूलचंद लक्ष्मण पिता सुन्दर लाल शान्ति बाई बेवा सुन्दर लाल मालती पुत्री सुन्दर लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/1	0.030	0.030	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	46/1	0.110	0.110	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	47/2	0.020	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	48	1.290	1.290	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	64/2	0.120	0.120	कृषि भूमि
44	सीमा पत्नि नवनीत सिंह चौहान पता शास्त्री वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/2	0.250	0.250	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	46/2	0.110	0.110	कृषि भूमि
45	श्रुतिराज पिता छोटेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45/5	0.250	0.250	कृषि भूमि
46	विनीत सिंह पिता जगदीश सिंह चौहान पता शास्त्री वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	47/1	0.290	0.290	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	64/1	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	65/2	0.550	0.550	कृषि भूमि
47	शारदाबाई पत्नि गुलझारीलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	49	2.180	2.180	कृषि भूमि
48	इमरत वल्द पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/1	0.300	0.300	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	51	0.340	0.340	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	54/1	0.220	0.220	कृषि भूमि
49	लच्छू मुन्ना इमरत पिता पूरन बन्दना शब्बो मीना कौशल्या पुत्री पूरन सुहागरानी बेवा पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/2	0.560	0.560	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	54/2	0.300	0.300	कृषि भूमि
50	मुन्ना वल्द पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/3	0.720	0.720	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	54/3	0.150	0.150	कृषि भूमि
51	लच्छू वल्द पूरन सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	50/4	1.810	1.810	कृषि भूमि
52	महेन्द्र कुमार पिता लच्छू सेन पता 097 पथरिया हाट सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/5	0.140	0.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	56	0.200	0.200	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	57	0.430	0.430	कृषि भूमि
53	अल्पेश अंकित अनुज ना बा ब. छोटेलाल बली मां व खुद सियारानी कैलाशरानी बेवा छोटेलाल	भूमिस्वामी	59	0.110	0.110	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	61/1	0.460	0.460	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	62/1	0.580	0.580	कृषि भूमि
54	मिठदूलाल पिता खानजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60	1.140	1.140	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	63	1.030	1.030	कृषि भूमि
55	हनुमतसिंह वल्द खूबसिंह पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	61/2	1.040	1.040	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	62/2	0.360	0.360	कृषि भूमि
56	अरविन्द वल्द मिठदूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66/1	0.690	0.690	कृषि भूमि
57	देवेन्द्र वल्द मिठदूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66/2	0.690	0.690	कृषि भूमि

58	रामप्रसाद वल्द मिट्टूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	66/3	0.690	0.690	कृषि भूमि
59	गौरी सिंह पिता नन्हेसिंह जाति यादव इतवारी तौरी वार्ड सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/1	0.350	0.350	कृषि भूमि
60	बालकिमुन पिता लालमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	67/2	0.020	0.020	कृषि भूमि
61	निर्मय सींग भरतसींग पिता मुन्नालाल घोषी पता राजीव नगर वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	67/3	0.740	1.470	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	67/4	0.340		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	67/5	0.400		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	67/6	0.170		कृषि भूमि
62	हुकुम प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/1	0.130	0.450	कृषि भूमि
63	जाकिर हुसैन पि. विलायत हुसैन पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	68/2	1.140		कृषि भूमि
64	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता गजेन्द्र सिंह पता सा. सदर सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70/1	0.580	0.100	कृषि भूमि
65	निर्मय सींग भरतसींग पिता मुन्नालाल घोषी पता राजीव नगर वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	70/2	0.140		कृषि भूमि
66	सतीश नेतराम देशराज प्रमोद पिस राजाराम भागवती गीता संजू पार्वती पुत्री राजाराम शीलाबाई बेवा राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80/2	0.180	0.180	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	378/2	0.020	0.020	कृषि भूमि
67	दया पिता कसिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80/3	0.190	0.190	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	378/3	0.010	0.010	कृषि भूमि
68	नंदू पिता कसिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	80/1	0.180	0.180	कृषि भूमि
69	बलराम पिता हरीसींग सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81	0.240	0.240	कृषि भूमि
70	करनसिंह पिता हरीसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82	0.100	0.100	कृषि भूमि
71	मानसींग पिता गोकलप्रसाद घोषी पता इतवारी टोरी सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86	1.000	1.000	कृषि भूमि
72	नारायण पिता मूलचंद पटैल गंगाराम पिता कुन्दन लाल पटैल बबलू पिता कुन्दन लाल पटैल पता सुभानगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	87	1.850	1.850	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	88	0.670	0.670	कृषि भूमि
73	रंधीर सिंह पिता शंभू सिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/2	0.400	0.400	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	96	0.900	0.900	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	99/1	1.800	1.800	कृषि भूमि
74	भूपेन्द्र पिता मानसिंह पता इतवारी टोरी सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	91	0.410	0.410	कृषि भूमि
75	देवी प्रसाद पिता रतन सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	92	1.250	1.250	कृषि भूमि
76	बालकृष्ण पिता ओंकार प्रसाद ब्राह्मण पता सा. रहली भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	93/1	0.140	1.090	कृषि भूमि
77	समीर पिता ताजमुहम्मद सा. भगतसींग वार्ड सागर नरेन्द्रसींग वल्द बलरामसींग यादव पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	93/2	1.600		कृषि भूमि
78	सगीर पिता ताज मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/1	0.320	0.450	कृषि भूमि
79	छोटीबाई पत्नि खिलान	भूमिस्वामी	94/2	0.400		कृषि भूमि
80	नारायण पिता मूलचंद पटैल गंगाराम पिता कुन्दन लाल पटैल बबलू पिता कुन्दन लाल पटैल पता सुभानगर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/4	0.400		कृषि भूमि

81	रामसखी जोजे रणधीरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/3	0.040		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	89/1	0.830	0.830	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	101/2	0.800	0.800	कृषि भूमि
82	भगवानसींग पिता शम्भू सींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95	1.440	1.440	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	104	0.220	0.220	कृषि भूमि
83	थानसिंह पिता रज्जूसिंह पता सा. गोदू तहसील खुरई भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	98	1.830	1.830	कृषि भूमि
84	कुसुमरानी उर्फ बडी बहू बैवा शम्भू सींग	भूमिस्वामी	99/2	0.040	0.040	कृषि भूमि
85	हेमन्तसिंह पिता रणधीरसिंह	भूमिस्वामी	100	1.380	1.380	कृषि भूमि
86	राजेश चन्द्रेश रामनाथ पिता रामरतन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/1	0.620	0.620	कृषि भूमि
87	चन्द्रेश रामनाथ पिता रामरतन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	382/2	0.410	0.390	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	383/1	0.250	0.200	कृषि भूमि
88	राजेश बल्द रामरतन घोषी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/3	0.750	0.750	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	382/1	0.660	0.600	कृषि भूमि
89	यतीश	भूमिस्वामी	102/1/1/2	1.360	1.360	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	102/1/2	0.060	0.060	कृषि भूमि
90	द्वारका प्रसाद पिता जमना प्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	102/1/1/1	1.380	1.380	कृषि भूमि
91	चन्द्रेश बल्द रामरतन घोषी	भूमिस्वामी	101/4	0.750	0.750	कृषि भूमि
92	रामनाथ बल्द रामरतन घोषी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/5	0.760	0.760	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	383/2	0.660	0.660	कृषि भूमि
93	फूलसींग पिता गुलाबसींग राजपूत	भूमिस्वामी	102/2	0.080	0.080	कृषि भूमि
94	सुमन पत्नि संतोष कुमार कांता पत्नि रमेश कुमार रीतेश कुमार पिता रमेशचंद गरिमा पत्नि रितुल संतोष पिता छोटेलाल अर्चित वल्द संतोष कुमार पता सा. गांधी चौक वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	227/1	1.670	1.060	कृषि भूमि
95	मकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी अभिमेष नाबा ब.व. बली मुकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी सा बण्डा बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	227/2	0.040	0.040	कृषि भूमि
96	मुकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी (एच0यू0एफ0)	भूमिस्वामी	227/3	0.060	0.060	कृषि भूमि
97	निरपत पिता मूलचंद सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1	1.500	1.020	कृषि भूमि
98	ओमप्रकाश पिता हरीशचंद श्रीमति चारु पत्नि सौरभ जाति अग्रवाल पता रजाखेडी सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/2	0.180	0.150	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	229/2	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	230	4.430	4.430	कृषि भूमि
99	जनकरानी जोजे निरपत सा सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	229/1	1.620	1.620	कृषि भूमि
100	बृजलाल पिता हरप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	232	1.500	1.220	कृषि भूमि
101	खुशालचंद पिता दुर्गाप्रसाद सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	234	1.730	1.320	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	235	2.590	2.590	कृषि भूमि
102	दलीप पिता बृजलाल सा सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	236	1.100	1.100	कृषि भूमि
103	देवेन्द्र कुमार पिता बृजलाल पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	237	1.690	1.690	कृषि भूमि
104	दुष्यन्त पिता बृजलाल सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	238	0.700	0.700	कृषि भूमि
105	भवनी पिता गनेशप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	308	0.010	0.010	कृषि भूमि
106	तुलसीराम पिता हल्के सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	369	0.370	0.120	कृषि भूमि

107	देवीदीन राजाराम मौनी बाई ममता हल्ली पिता नब्बा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	372	0.020	0.020	कृषि भूमि
108	देवीदीन पिता नब्बा निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	373	0.020	0.010	कृषि भूमि
109	जयराम राजू वल्द रामप्रसाद दुर्गा पुत्री रामप्रसाद बडीबहू बेवा रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	374	0.040	0.020	कृषि भूमि
110	नंदू पिता कसिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	378/1	0.010	0.010	कृषि भूमि
111	राजाग्राम संतोष राकेश मुकेश पिता लीलाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	380	1.650	1.650	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	381	0.540	0.540	कृषि भूमि
112	रामअवतार पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हेमंतकुमार पिता मुन्नालाल जाति सोनी पता बरियाघाट वार्ड सागर मध्यप्रदेश श्रीमति सुगंधी पत्नि बालकृष्ण जाति उपाध्याय पता विवेकानंद वार्ड सागर मध्यप्रदेश	भूमिस्वामी	384	0.570	0.570	कृषि भूमि
113	देवशंकर मीनाप्रसाद पिता सीताराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	385	0.760	0.680	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	386	0.630	0.320	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	394	0.200	0.200	कृषि भूमि
114	दयालप्रसाद कामताप्रसाद गिरजाप्रसाद पिता सूरजप्रसाद बेवी पुत्री सूरजप्रसाद पता सा देह-भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	389	0.180	0.180	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	397	1.180	1.180	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	401	1.020	0.600	कृषि भूमि
115	रामसेवक पिता जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	390	0.200	0.200	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	398/1	0.960	0.800	कृषि भूमि
116	शंकरलाल पिता रामसहाय चंदाबाई पुत्री रामसहाय नर्मदाप्रसाद हरीनारायण पता सा देह भूमि स्वामी संतोष नरेश पिता भगवानदास ममता पुत्री भगवानदास भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	391	0.170	0.170	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	392	0.430	0.430	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	393	0.190	0.190	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	395	0.920	0.920	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	396	0.040	0.040	कृषि भूमि
117	अनीता सविता पुत्री टीकाराम सुशील पिता टीका राम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	399	0.400	0.220	कृषि भूमि
118	रामअवतार पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	398/2	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	400	0.920	0.610	कृषि भूमि
119	गनेश पिता दररू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	402/1	0.220	0.220	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	403/1	0.740	0.420	कृषि भूमि
120	कंचेदी लक्ष्मीनारायण पिता रामा लक्ष्मी उर्फ सरिता रश्मि पुत्री रामा कृष्णाबाई बेवा रामा जाति साहू पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	402/2	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	403/2	0.170	0.080	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	404/4	0.380	0.310	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	405/1	0.530	0.530	कृषि भूमि
121	प्रसन्न कुमार पिता लालचंद पता सा. सेबेदार वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	404/1	0.800	0.800	कृषि भूमि
122	सीमा पत्नि प्रसन्न कुमार पता सा. सूबेदार वार्ड सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	404/2	0.130	0.130	कृषि भूमि
123	दीनदयाल पिता हलके जाति साहू पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	404/3	0.290	0.180	कृषि भूमि
124	रामचरण पिता हलके जाति साहू पता सागर सागर सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	405/2	0.400	0.400	कृषि भूमि
125	गनपत पिता हलके सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	405/3/1	0.400	0.400	कृषि भूमि
126	दीनदयाल पिता हलके सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	405/3/2	0.110	0.110	कृषि भूमि

127	अमित पिता रामविशाल सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	406	2.850	1.550	कृषि भूमि
128	तेजराज पिता कडोरी सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	407	1.270	0.470	कृषि भूमि
129	कल्लू हरीश उमेश पिता कच्छेदी गनेशीबाई यशोदाबाई कमलाबाई पुत्री कच्छेदीलाल पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	408	1.270	0.570	कृषि भूमि
130	गुलाबरानी बेवा सीताराम देवशंकर मीनाप्रसाद पिता सीताराम सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	417	0.280	0.200	कृषि भूमि
131	रामकिशन पिता जोरा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	431	0.320	0.250	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	432/4	0.070	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	434/1	0.080	0.080	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	436/1	0.420	0.720	कृषि भूमि
132	घूमन पिता जोराबल नि. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	436/2	0.400		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	432/1	0.040	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	437	0.650	0.450	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	439/1	0.200	0.100	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	439/2	0.800		कृषि भूमि
133	दीना पिता जोरा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	439/3	0.100		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	58	0.060	0.060	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	61/3	0.690	0.690	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	438	0.400	0.400	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	441	0.710	0.710	कृषि भूमि
134	ब्रजरानी बेवा नर्मदाप्रसाद रामस्वरूप कामता देवेन्द्र पिता नर्मदा शिरोमणी लीला सविता सुधा पुत्री नर्मदा सा देह भूमि भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	432/2	0.240	0.050	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	433/1	0.360	0.360	कृषि भूमि
135	घूमन रामकिशुन दीना पिता जोराबल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	432/3	0.060	0.060	कृषि भूमि
136	देवेन्द्र पिता नर्मदा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	432/5	0.240	0.240	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	433/2	0.360	0.360	कृषि भूमि
137	दीना पिता जोराबल पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	434/2	0.400	0.400	कृषि भूमि
138	अभिषेक वल्द सीताराम सा. सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	447	0.740	0.050	कृषि भूमि
139	धर्मवीर पिता जयराम सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	448	1.520	0.770	कृषि भूमि
140	सतीषकुमार पिता संतोषकुमार पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	449	1.010	0.660	कृषि भूमि
योग:			256	151.890	137.710	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2021

प्र. क्र. 48-अ-82-वर्ष 2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1) पन्ना	(2) गुनौर	(3) कचनारा	(4) निजी भूमि रकबा 5.550 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 5.550 है.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र के (छूटे हुये रकबे) बांध निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 18 जून 2021

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1) पन्ना	(2) अमानगंज	(3) महेवा	(4) निजी भूमि रकबा 73.609 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 73.609 है.	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना.	(6) सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र के (छूटे हुये रकबे) बांध निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 15 जून 2021

क्र. 210-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—खैरा
 (घ) पटवारी हल्का का नाम—खैरा
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.150 हेक्टेयर.

क्र.	खसरा नम्बर	का रकबा (हे. में.)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	80	0.040	मुस. कलावती बेवा रामलला, रेखा, गीता, नीता, कल्पना, विद्या पिता रामलला, रामसिया, सियाशरण, रमेश कुमार, रामलखन, रमाकांत, अरविन्द कुमार पिता यदुनाथ प्रसाद.
2	82	0.100	हीरालाल पिता जेटूराम, पवित्री बेवा मंगलराम, श्रीनिवास, अयोध्या प्रसाद, केशनव प्रसाद, रामनिवास, श्रीकांत पिता मंगलराम, शंखी, श्यामवती, गुड्डू पुत्री मंगलराम.
3	100	0.010	मुस. शकुन्तला देवी पत्नी कौशल प्रसाद, लक्ष्मीकांत, गिरीश कुमार पिता कौशल प्रसाद.
कुल योग . .		0.150	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सोननदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन, जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 24 जून 2021

प्र. क्र. अ-82-2020-21-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार

नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
			सर्वे नं.	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्वालियर	डबरा	देवगढ़	411	3.344	परियोजना प्रबन्धक, माँ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई, माँ जिला भिण्ड.	माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम देवगढ़ की भूमि का अर्जन.
			422/1	0.532		
			422/2	0.293		
			1151/मिन-2	0.147		
			1154	0.073		
			1155	0.052		
			1156/मिन-1	0.444		
			1156/मिन-2	0.444		
			1157/मिन-2	0.010		
			1200	0.072		
			1201	1.980		
			1202	0.449		
			1210	0.063		
			1211	0.251		
			1212	0.052		
			1213	0.209		
			1214	0.219		
			1215/मिन-2	0.644		
			1635/मिन-1	0.705		
			1636/मिन-1	0.198		
			1638	1.338		
			1640	0.794		
			1641	0.627		
			1642	1.599		
			1649	0.261		
			1663	0.345		
			1665	2.456		
			1667	1.264		
			1668	0.219		
			1669	0.470		
			1671	0.387		
			1674	0.251		
			1675	0.502		
1678	1.045					
1679	0.606					
1680	0.606					
1685	0.063					
1686	0.397					
1687	0.010					
1689	0.272					
1691	0.324					
1692	0.324					
1693	1.641					
1694	0.387					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1695	0.199		
			1696	0.084		
			1697	0.178		
			1698	0.125		
			1699	0.282		
			1701	0.167		
			1702	0.042		
			1703	0.052		
			1704	0.073		
			1705	0.052		
			1706	0.272		
			1707	0.105		
			1708	0.125		
			1709	0.105		
			1717	0.481		
			1718	0.355		
			1719	0.136		
			1720	0.230		
			1721	0.658		
			1722	0.575		
			1723/1	0.648		
			1723/3	0.261		
			1724	0.314		
			1725	0.543		
			1726	0.031		
			1727	0.355		
			1729	0.523		
			1730	0.408		
			1731	0.836		
			1732	0.355		
			1733	0.408		
			1734	0.439		
			1735	0.449		
			1736	0.042		
			1737	1.160		
			1738	1.160		
			1740/मिन-1	1.672		
			1741/मिन-2	2.000		
			1744	0.125		
			1746	0.449		
			1747	0.042		
			1749	2.665		
			1757/मिन-1	1.672		
			1757/मिन-2	1.620		
			1762/मिन-1	0.674		
			1809/1740	0.136		
		कुल योग . .		49.652		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 25 जून 2021

(1)	(2)	(3)
25	0.390	निजी भूमि
27/1/ka	0.500	निजी भूमि
27/2/ka	0.900	निजी भूमि
योग . .	7.860	

प्र. क्र. 35-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:— मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत केन नदी से मझगाँव जलाशय तक एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम सब्दुआ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 36-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—सब्दुआ
(घ) क्षेत्रफल—7.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
6	0.950	निजी भूमि
15	0.070	निजी भूमि
14	0.270	निजी भूमि
13	1.330	निजी भूमि
10	0.240	निजी भूमि
12	0.080	निजी भूमि
9	0.020	निजी भूमि
18	0.290	निजी भूमि
16/2	0.610	निजी भूमि
16/1	0.240	निजी भूमि
26	0.930	निजी भूमि
29/1/ka	0.270	निजी भूमि
29/2/ka	0.770	निजी भूमि

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—डुंगरहो
(घ) क्षेत्रफल—4.605 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
326	0.250	निजी भूमि
337/1	0.020	निजी भूमि
347	0.770	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
288/1	0.268	निजी भूमि	197/2		0.027
350/2	1.472	निजी भूमि	193/1		0.040
331	0.380	निजी भूमि		योग.	0.750
333/2	0.250	निजी भूमि			
333/1	0.005	निजी भूमि			
327/3	1.010	निजी भूमि			
325	0.180	निजी भूमि			
योग . .	4.605				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:— मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत केन नदी से मझगाँव जलाशय तक एग्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम डुंगरहो तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जून/जुलाई 2021

क्र. 4147-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धनौरा, प.ह.नं.-02,
ब. नं.-135, रा. नि. मं.-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.750 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
556/1	0.283
556/2	0.271
561	0.129

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रं.2 सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्र. 4362-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चौरई, प.ह.नं.-34,
ब. नं.-93, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.537 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
166/1	0.491
166/4	0.008
166/5	0.016
166/7	0.022
योग. . 0.537	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. मध्य रेल नैनपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, , कार्यपालन यंत्री (निर्माण) छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20.-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाड़नपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1)	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2)
1.3200 हेक्टे.	1.3642 हेक्टे.

- (2) उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हेक्टे. के स्थान पर 1.3642 हेक्टे. पढ़ा जावे.

खण्डवा, दिनांक 07 जून 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20.-शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बननगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, पिपुल्स समाचार में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1)	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2)
1.882 हेक्टे.	2.582 हेक्टे.

- (2) उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हेक्टे. के स्थान पर 2.582 हेक्टे. पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. A-1989-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 25 मई 2021 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 मई 2021 से दिनांक 16 मई 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1992-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. B-3781-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (न्यायिक-II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2409-दो-2-54-2020.—श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 5 मई 2019 से दिनांक 4 मई 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2021

क्र. A-2183-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्र. 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री त्रिपाठी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	—	217
अर्द्धवेतन अवकाश	—	83
योग ..		<u>300</u> दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = _____ x 83 में नगद भुगतान 30

क्र. A-2185-दो-3-420-80-भाग-बारह.—स्व. श्री शिवचरण पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी का स्वर्गवास दिनांक 7 मई 2021 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उनके विधिक उत्तराधिकारी

पत्नी श्रीमती वंदना पाण्डेय को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्र. 161-4-31-82-नि-1-चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्र. जी-25-28-95-सी-चार, दिनांक 10 जुलाई 1995, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा क्र. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्र. 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 के अंतर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	—	281
अर्द्धवेतन अवकाश	—	19
योग		<u>300</u> दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 281 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = $\frac{\text{अवकाश वेतन}}{30} \times 19$ में नगद भुगतान 30

क्र. A-2188-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री भाऊराव पाटिल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा क्र. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्र. 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्र.3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री पाटिल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	—	232
अर्द्धवेतन अवकाश	—	68
योग		<u>300</u> दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 232 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = $\frac{\text{अवकाश वेतन}}{30} \times 68$ में नगद भुगतान 30

क्र. A-2190-दो-2-16-2020.—श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 15 से 24 अप्रैल 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 11 से 14 अप्रैल 2021 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अप्रैल 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3712-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3715-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 7 से 8 जुलाई 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. B-3718-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 21 से 26 जून 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3720-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. B-3722-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 से 30 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. D-2349-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 3 से 8 मई 2021 तक छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 मई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2351-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 6 अप्रैल से दिनांक 9 मई 2021 तक चौतीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2353-दो-2-18-2020.—श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3440-21-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2357-दो-2-13-2019.—श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 11 अप्रैल से 5 जून 2021 तक छप्पन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2359-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3440-21-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-2361-दो-2-81-2018.—श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 6 से 28 अप्रैल 2021 तक तेईस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2021

क्र. B-3732-दो-2-25-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 22 अप्रैल से 7 जून 2021 तक सैंतालीस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3734-दो-2-57-2020.—श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से दिनांक 13 मई 2021 तक चौवालीस दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मई 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. B-3736-दो-2-27-2019.—श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2021 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 31 मार्च से 1 मई 2021 तक बासठ दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3739-दो-2-18-2020.—श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 जून 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3741-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 13 से 22 जुलाई 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3743-दो-2-58-2020.—स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2021 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2405-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 26 अप्रैल से 1 मई 2021 तक छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्र. B-3777-दो-2-30-2020.—श्री अफसर जावेद खान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 28 से 30 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश

के पूर्व में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3779-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2407-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 25 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.